

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर।

क्रमांक :-प1(1) कार्मिक/नि.चि./31/05/131

दिनांक:- 13/4/05

कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये प्रीति मेटरनिटी एण्ड जनरल हॉस्पिटल, 56/122, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है। उक्त चिकित्सालय द्वारा इन्वेस्टिगेशन/इन्डोर/सर्जरी शुल्क पर 10 प्रतिशत की छूट देय है।

उक्त आदेश को अध्यक्ष महोदया का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।


सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :-

- 1 प्रमुख निजी सचिव- अध्यक्ष/आवासन आयुक्त /मुख्य अभियंता राज0आ0मण्डल,जयपुर।
- 2 व0नि0स0-सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज0आ0मण्डल,जयपुर।
- 3 अति0 मुख्य अभियंता राज0आ0मण्डल,जयपुर/जोधपुर।
- 4 उप आवासन आयुक्त वृत..... रा0आ0म0.....।
- 5 आवासीय अभियंता खण्ड.....रा0आ0म0.....।
- 6 समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय..... राज0आ0मण्डल,जयपुर।
- 7 प्रीति मेटरनिटी एण्ड जनरल हॉस्पिटल, 56/122, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर।
- 8 नोटिस बोर्ड /रक्षित पत्रावली


सचिव